20-10-2020

वादी एवं प्रतिवादी की हाजिरी है। यह वाद वादी द्वारा 24 फरवरी 2020 को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1 एवं 2 के अंतर्गत दाखिल आवेदन पर अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश हेतु लंबित है। प्रतिवादी द्वारा प्रतिउत्तर 16 जून 2020 को दाखिल किया गया है । इस आवेदन पर उपस्थित दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है ।

वादी ने अपने आवेदन में कहा है कि यह वाद वाद भूमि पर वादी का स्वत्व एवं अधिकार की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु लाया गया है। वादी का वाद भूमि पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा 80 वर्षों से अधिक समय से चला आ रहा है, जिसमें से प्लॉट संख्या 304 पर वादी द्वारा फ्लोर मिल, राइस मिल स्थापित किया गया था, वर्तमान में केवल पक्का फाउंडेशन एवं वाटर टैंक बचा है । प्रतिवादी द्वारा न्यायालय को यह कह कर भ्रमित किया गया कि टंकी प्रोजेक्ट का कार्य प्लॉट संख्या 316 पर हो रहा है जिस पर NOC सर्किल ऑफिसर अंचल bagaha-1, पत्रांक-912 दिनांक- 03-11-2017, द्वारा जारी किया गया है। प्रतिवादी के गलत बयान को सही मानकर न्यायालय द्वारा 27 अगस्त 2019 को, वादी के पक्ष में निर्गत, पूर्व के अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश को वापस ले लिया गया। जिसके पश्चात प्रतिवादी द्वारा, स्टेट ऑफिशियल होने का नाजायज फायदा उठाते हुए, वाद भूमि पर वादी द्वारा निर्मित पक्का निर्माण को गिरा दिया गया है तथा टंकी प्रोजेक्ट का कार्य वादी के घर अर्थात प्लाट संख्या 304 पर प्रारंभ किया गया है। जबकि अंचलाधिकारी bagaha-1 द्वारा वादी को बिना कोई सूचना दिए मौजा खोरा परसा खाता संख्या 2 , प्लॉट संख्या 316 के 10 डिसमिल भूमि पर पत्रांक 912 दिनांक 3 नवंबर 2017 के द्वारा टंकी निर्माण हेतु एनओसी जारी किया गया है। NOC में उक्त भूमि अर्थात जल मीनार निर्माण स्थल की कोई बाउंड्री एवं पहचान नहीं दिया गया है, जबकि प्लाट संख्या 316, 3 बीघा 16 कट्ठा 15 धूर का है। सर्वे जानकार अधिवक्ता द्वारा इस संबंध में स्केच मैप एवं इंस्पेक्शन रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि बोरिंग पाइप एवं उसका बोरिंग हाउस प्लॉट नंबर 304 पर है। जबकि बोरिंग एवं जल मीनार निर्माण करने की अनुमति NOC के माध्यम से केवल प्लाट संख्या 316 पर प्राप्त हुआ है, जो अब खाली है। प्रतिवादी पावरफुल व्यक्ति हैं जिसका लाभ उठाकर जबरदस्ती प्लाट संख्या 316 के जगह प्लाट संख्या 304 में बोरिंग करवा दिए हैं। प्रतिवादी के इस कार्य से वादी को कई प्रकार का अपूरणीय क्षति हो रहा है। वादी गरीब तथा भूमिहीन व्यक्ति है तथा अनुसूचित जाति का होने के नाते गैरमजरूआ मालिक भूमि प्राप्त करने का हकदार है। इसलिए न्यायालय से प्रार्थना है कि प्रतिवादी को अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश के द्वारा वाद भूमि पर आगे किसी प्रकार का संरचना निर्माण करने से वाद के अंतिम निपटारे तक रोक दिया जाए।

प्रतिवादी ने अपने प्रतिउत्तर में कहा है कि वादी का आवेदन विधि एवं तथ्य की दृष्टि से पोषणीय नहीं है । वादी द्वारा 17 अप्रैल 2018 को इसी विषय पर अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन दिया गया था जिसे समुचित सुनवाई के पश्चात, इसी न्यायालय द्वारा, 27 अगस्त 2019 को खारिज कर दिया गया है। उक्त 27 अगस्त 2019 के आदेश को वादी द्वारा कहीं भी चैलेंज नहीं किया गया है, बल्कि अवैध रूप से उसी विषय पर यह दूसरा अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन दाखिल किया गया है, जो विधि के दृष्टि में पोषणीय नहीं है। वादी के पक्ष में वाद भूमि के संबंध में कोई भी प्रथम दृष्टया मामला एवं वाद हेतु नहीं बनता है । यह स्वीकृत तथ्य है कि वाद भूमि मौजा- अहीरबलिया खाता संख्या-2 के प्लाट संख्या-304 का 10 डिसमिल एवं प्लाट संख्या- 316 का 7 डिसमिल गैरमजरूआ मालिक भूमि है, रिवीजनल सर्वे खतियान में दोनों प्लाट काफी बड़ा है एवं गैरमजरूआ मालिक है जो एक्स लैंडलॉर्ड के दखल कब्जा में था। जो भूमि के निहित होने के पश्चात बिहार राज्य के खास कब्जा में आया, जो कि अभी भी है। वाद भूमि कभी भी वादी या वादी के परिवार के दखल कब्जे में नहीं था ना ही उसके द्वारा वाद भूमि पर कोई निर्माण किया गया। वादी द्वारा वाद भूमि पर अपने दावा के संबंध में या कब्जा प्राप्त करने के तरीके के संबंध में कोई भी दस्तावेज या कागज दाखिल नहीं किया गया है। यह वाद एवं आवेदन वादी द्वारा वाद भूमि को गलत तरीके से हथियाने का प्रयास मात्र है। प्रतिवादी वाद भूमि के वास्तविक स्वामी हैं एवं प्रतिवादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन बनता है , यदि वादी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया जाता है तो प्रतिवादी को अपूरणीय क्षति होगी। अतः न्यायालय से प्रार्थना है कि वादी द्वारा दाखिल अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन को खारिज किया जाए।

न्यायालय द्वारा उभय पक्षों को सुना गया तथा अभिलेख एवं अभिलेख पर उपस्थित दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । न्यायालय अवलोकन पर पाती है कि वादी द्वारा वाद भूमि पर जल मीनार के निर्माण को रोकने हेतु 17 अप्रैल 2018 को अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन दिया गया था जिसे समुचित सुनवाई के पश्चात इस न्यायालय द्वारा 27 अगस्त 2019 को खारिज कर दिया गया है। यह भी स्पष्ट है कि 27 अगस्त 2019 के आदेश को वादी द्वारा कहीं भी चैलेंज नहीं किया गया है। वादी द्वारा दाखिल वर्तमान अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन में यह कहा गया है कि प्रतिवादी को जल मीनार की निर्माण की अनुमति NOC के माध्यम से केवल प्लाट संख्या 316 पर प्राप्त हुआ है जबकि प्रतिवादी द्वारा जल मीनार का बोरिंग एवं उसका भवन प्लाट संख्या-304, जो कि वाद भूमि है, पर बनाया जा रहा है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि वादी द्वारा दाखिल पूर्व का अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन एवं वर्तमान अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन में केवल NOC में वर्णित भूमि के आधार पर अंतर है। अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश प्राप्त करने हेतु आवेदक के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला होना चाहिए एवं सुविधा का संतुलन होना चाहिए और हस्तक्षेप से उसे अपूरणीय क्षति होनी चाहिए। अन्य किसी भी बात को साबित करने की ना तो आवश्यकता है ना ही विधिक जरूरत है। इसलिए NOC के द्वारा

किस भूमि पर जल मीनार बनाने या उससे संबंधित बोरिंग करने की अनुमति मिली है या नहीं मिली है या यह अनुमति सक्षम प्राधिकार द्वारा दिया गया है या अक्षम प्राधिकार द्वारा दिया गया है, इन बातों का कोई महत्व अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित करने में विधिक रुप से तब तक नहीं है जब तक कि वह अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला साबित ना कर दिया हो। वादी अर्थात आवेदक को केवल यह साबित करना है कि प्रथम दृष्टया मामला उसके पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन भी उसके पक्ष में है एवं विपक्षी के कार्य से उसे अपूरणीय क्षति होगी। यह स्वीकृत तथ्य है कि वाद भूमि गैरमजरूआ मालिक भूमि है जिस पर भूतपूर्व जमींदार का दखल कब्जा था। वादी द्वारा वाद भूमि पर 80 वर्षों से अधिक समय से लगातार शांतिपूर्ण दखल कब्जे के आधार पर एडवर्स पजेशन के माध्यम से वाद भूमि पर स्वत्व एवं अधिकार का दावा किया गया है, लेकिन न्यायालय पाती है कि इस दवा के समर्थन में कोई भी दस्तावेज या कागज वादी द्वारा दाखिल नहीं किया गया है। वादी द्वारा 31 जनवरी 1964 का भांगी महतो बनाम प्रयाग दास का सेल डीड की फोटो कॉपी दाखिल की गई है, लेकिन वादी द्वारा यह नहीं बताया गया है कि भांगी महतो को यह भूमि कैसे प्राप्त हुई या भांगी महतो का उक्त भूमि पर विधिक कब्जा कैसे प्राप्त प्राप्त हुआ। वाद भूमि के भूतपूर्व जमींदार या बिहार राज्य द्वारा वादी एवं उसके परिवार के नाम वाद भूमिका कोई बंदोबस्त या अंतरण का कोई कागज अभिलेख पर नहीं है। इस प्रकार से केवल मौखिक रूप से यह दावा करना कि वह 80 वर्षों से अधिक समय से वाद भूमि पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा में आ रहा है अतः उसे एडवर्स पजेशन के आधार पर विधिक स्वत्व एवं अधिकार वाद भूमि पर प्राप्त हो गया है, के आधार पर वादी अर्थात आवेदक के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला का निर्माण अपने आप नहीं हो जाता है। वादी ने अपनी ओर से प्रस्तुत कागजात में स्वीकार किया है कि वह 14-10-2017 को अंचलाधिकारी bagaha-1 के यहां वाद भूमि अपने नाम बंदोबस्ती करने के लिए आवेदन दिया है। इस आवेदन को देखने से स्पष्ट होता है कि आवेदन में यह कहीं जिक्र नहीं किया गया है कि वादी द्वारा इससे पहले वाद भूमि अपने या अपने परिवार के नाम बंदोबस्त करने के संबंध में कोई भी आवेदन पूर्व में दिया है। 23 अगस्त 2019 के आदेश द्वारा इसी न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि वादी के पक्ष में किसी प्रकार का कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है एवं सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में नहीं है । 23 अगस्त 2019 के पश्चात वादी द्वारा इस वाद में कोई भी अतिरिक्त दस्तावेज या साक्ष्य अपने दावा के समर्थन में प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार से न्यायालय पाती है कि ऐसी परिस्थिति में प्रतिवादी द्वारा किए गए किसी प्रकार के कार्य अर्थात प्लाट संख्या 316 की जगह 304 पर बोरिंग करने से वादी को किसी प्रकार की कोई अपूरणीय क्षति होने की कोई संभावना नहीं है। क्योंकि वादी के पक्ष में वर्तमान में वाद भूमि के प्लाट संख्या 316 एवं प्लाट संख्या 304 पर कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है एवं सुविधा का संतुलन भी नहीं है।

उपरोक्त विशेषण के आधार पर न्यायालय द्वारा वादी की ओर से सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1 एवं 2 के अंतर्गत 24 फरवरी 2020 को दाखिल अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन को खारिज किया जाता है।

दिनांक को अग्रिम कार्रवाई हेतु।

सब जज- V,

बगहा